

अध्याय-I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयू की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक प्रकृति की गतिविधियों को सम्पादित करने के लिए की जाती है तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। 31 मार्च 2015 को उत्तर प्रदेश में 104 पीएसयू थे (*परिशिष्ट-1.1*)। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014-15 के दौरान, नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड¹ नामक एक कम्पनी समामेलित की गई जबकि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की 22 सहायक कम्पनियों² को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विघटन³ करने के कारण बन्द कर दिया गया। इसके अलावा, वेस्टर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड नामक एक कम्पनी का 22 सितम्बर 2011 के प्रभाव से निजीकरण कर दिया गया, जैसा कि फरवरी 2015 में सूचित किया गया। 31 मार्च 2015 को उत्तर प्रदेश के पीएसयू का विवरण तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2015 को पीएसयू की कुल संख्या

पीएसयू के प्रकार	कार्यरत पीएसयू	अकार्यरत पीएसयू ⁴	योग
सरकारी कम्पनियाँ ⁵	58	39	97
सांविधिक निगम	7	शून्य	7
योग	65	39	104

स्रोत: पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

सितम्बर 2015 को अपने अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार, कार्यरत पीएसयू ने ₹ 85138.42 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2014-15 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.72 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2015 को अपने अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार, कार्यरत पीएसयू को कुल ₹ 16782.71 करोड़ की हानि हुई। मार्च 2015 की समाप्ति पर, इनमें 1.25 लाख⁶ कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2015 को पिछले चार से 40 वर्षों से विद्यमान 39 अकार्यरत कम्पनियाँ थीं जिनमें ₹ 1062.25 करोड़ का निवेश था। यह एक जोखिम युक्त क्षेत्र है क्योंकि अकार्यरत कम्पनियों में निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता है।

जवाबदेही तंत्र

1.2 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 के सम्बन्धित प्रावधानों से अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार सरकारी कम्पनी का तात्पर्य है, कोई कम्पनी

¹ 5 नवम्बर 2014 को समामेलित।

² 1. पांचाल परिपथ पर्यटन निगम लिमिटेड 2. संगम परिपथ पर्यटन निगम लिमिटेड 3. गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड 4. सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड 5. हिण्डन पर्यटन लिमिटेड 6. बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड 7. ताज विरासत परिपथ पर्यटन लिमिटेड 8. अभ्यारण्य परिपथ पर्यटन लिमिटेड 9. अध्यवसायी परिपथ पर्यटन लिमिटेड 10. पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड 11. त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड 12. शाहजहाँपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड 13. ब्रज परिपथ पर्यटन लिमिटेड 14. सिद्धार्थ परिपथ पर्यटन लिमिटेड 15. गढ़मुक्तेश्वर पर्यटन लिमिटेड 16. अवध पर्यटन लिमिटेड 17. ब्रज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड 18. मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड 19. ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड 20. हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड 21. ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड 22. बीथपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड।

³ दिनांक 7 अप्रैल 2015 के आदेशों के द्वारा।

⁴ अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपने कार्य बन्द कर दिये हैं।

⁵ सरकारी पीएसयू में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में सन्दर्भित अन्य कम्पनियाँ शामिल हैं।

⁶ 59 पीएसयू के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार। शेष 45 पीएसयू द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

जिसकी चुकता अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केन्द्रीय सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें वह कम्पनी शामिल है जो ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी हो।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (7) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी), धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अन्तर्गत आच्छादित किसी कम्पनी के मामले में, यदि आवश्यक समझे, एक आदेश द्वारा ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा करा सकता है तथा ऐसे नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी या कोई अन्य कम्पनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केन्द्रीय सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 या उससे पहले शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा ही अधिशासित रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों (जैसा कि अधिनियम की धारा 2(45) में वर्णित है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जो कम्पनी की अन्य बातों के अलावा अधिनियम की धारा 143(5) के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेंगे। ये वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित है। सात सांविधिक निगमों में से, सीएजी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम का एकल लेखापरीक्षक है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जाती है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासकीय विभागों के माध्यम से इन पीएसयू के मामलों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

पीएसयू में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण राज्य विधानमंडल भी करता है। इसके लिए, राज्य की सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों तथा सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ वार्षिक प्रतिवेदनों को तथा सांविधिक निगमों की दशा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को, अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा सम्बन्धित अधिनियमों में प्रावधानित हो, के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

1.5 इन पीएसयू में राज्य सरकार की भारी वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- अंश पूँजी एवं ऋण—अंश पूँजी अंशदान के अलावा राज्य सरकार समय-समय पर पीएसयू को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- विशेष वित्तीय सहायता—राज्य सरकार, पीएसयू को जब कभी आवश्यकता हो, अनुदान और सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- प्रत्याभूतियाँ—पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के ब्याज सहित पुर्नभुगतान हेतु राज्य सरकार प्रत्याभूतियाँ भी देती है।

राजकीय पीएसयू में निवेश

1.6 31 मार्च 2015 को, 104 पीएसयू (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनियों को शामिल करते हुए) में ₹ 171247.04 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: पीएसयू में कुल निवेश


(₹ करोड़ में)

पीएसयू के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत पीएसयू	81076.16	87262.48	168338.64	610.73	1235.42	1846.15	170184.79
अकार्यरत पीएसयू	709.86	352.39	1062.25	0.00	0.00	0.00	1062.25
योग	81786.02	87614.87	169400.89	610.73	1235.42	1846.15	171247.04

स्रोत: पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

31 मार्च 2015 को, राजकीय पीएसयू में कुल निवेश का 99.38 प्रतिशत कार्यरत पीएसयू में तथा शेष 0.62 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयू में था। इस कुल निवेश में 48.12 प्रतिशत पूँजी के मद में तथा 51.88 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में समाहित था। 2010-11 में निवेश ₹ 82911.80 करोड़ से 206.54 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 171247.04 करोड़ हो गया, जैसा कि लाइन चार्ट 1.1 में दर्शित है।

चार्ट 1.1: पीएसयू में कुल निवेश



-- ■ -- निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)

1.7 31 मार्च 2015 को राजकीय पीएसयू में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: पीएसयू में क्षेत्रवार निवेश


(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी/अन्य कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	कुल निवेश
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	
ऊर्जा	164404.31	0.00	0.00	164404.31
विनिर्माण	2827.80	732.73	0.00	3560.53
वित्त	705.39	6.65	827.31	1539.35
सेवा	68.40	26.48	720.44	815.32
अवसंरचना	134.25	271.14	270.03	675.42
कृषि एवं सम्बद्ध	143.29	25.25	13.37	181.91
विविध	55.20	0.00	15.00	70.20
योग	168338.64	1062.25	1846.15	171247.04

स्रोत: पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

31 मार्च 2011 एवं 31 मार्च 2015 की समाप्ति पर चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता को बार चार्ट 1.2 में इंगित किया गया है।

चार्ट 1.2: पीएसयू में क्षेत्रवार निवेश



(कोष्ठकों के अंकड़े कुल निवेश पर क्षेत्र निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

बार चार्ट 1.2 दर्शाता है कि चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से पीएसयू निवेश का बल मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था जो 2010-11 में ₹ 76699.51 करोड़ (92.51 प्रतिशत) से बढ़कर 2014-15 में ₹ 164404.31 करोड़ (96 प्रतिशत) हो गया। पीएसयू निवेश का शेष भाग अन्य तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा विनिर्माण, वित्त तथा सेवा में विभक्त था, जो 2010-11 में 6.89 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 3.46 प्रतिशत हो गया।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिलाभ

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में पीएसयू को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2014-15 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए पीएसयू के सम्बन्ध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, ऋणों का अपलेखन तथा ब्याज की माफी के रूप में बजटीय बहिर्गमन का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: पीएसयू को बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण


(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		पीएसयू की संख्या	धनराशि	पीएसयू की संख्या	धनराशि	पीएसयू की संख्या	धनराशि
1.	बजट से इक्विटी पूँजी में बहिर्गमन	5	2987.40	5	5324.42	6	11464.85
2.	बजट से दिये गये ऋण	3	25.18	6	123.80	6	138.78
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	11	4104.95	7	2890.07	10	3977.38
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	18⁷	7117.53	17⁷	8338.29	19⁷	15581.01
5.	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	1	64.38	.	.	3	1210.28
6.	ब्याज की माफी	1	425.44
7.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	4	848.35	3	124.68	3	241.00
8.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	9	9734.56	5	9120.15	5	59822.93

स्रोत: पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

पिछले पाँच वर्षों हेतु इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन से सम्बन्धित विवरण लाइन चार्ट 1.3 में दिया गया है।

चार्ट 1.3: इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन



लाइन चार्ट 1.3 दर्शाता है कि पीएसयू को इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन में वृद्धि की प्रवृत्ति थी तथा 2010-11 से 2014-15 के दौरान इसने 115.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, सिवाय 2012-13 के, जहाँ 2010-11 के बजटीय बहिर्गमन की तुलना में 1.6 प्रतिशत की थोड़ी कमी हुई।

⁷ यह पीएसयू की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जिनको बजटीय सहायता प्राप्त हुई। कुछ पीएसयू एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

तालिका 1.4 से यह देखा जा सकता है कि अदत्त प्रत्याभूति की धनराशि 2014-15 में ₹ 59822.93 करोड़ रही, जिसने 2013-14 से 2014-15 के दौरान 555.94 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि दर्ज की।

पीएसयू को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) प्रत्याभूति प्रदान करती है, जिसके लिए 0.25 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति कमीशन प्रभारित किया जाता है जैसा कि ऋणदाताओं के आधार पर जीओयूपी द्वारा निर्णीत किया जाए। दो पीएसयू⁸ द्वारा 2013-14 तक देय प्रत्याभूति कमीशन की धनराशि ₹ 0.44 करोड़ थी जो वर्तमान वर्ष के दौरान बढ़कर पाँच पीएसयू⁹ द्वारा देय ₹ 4.46 करोड़ तक हो गई। इसमें से, तीन पीएसयू¹⁰ ने वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 3.16 करोड़ के प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया। दो पीएसयू¹¹ ने वर्ष के दौरान प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान नहीं किया तथा 31 मार्च 2015 को उनके विरुद्ध संचित/बकाया प्रत्याभूति कमीशन ₹ 1.30 करोड़ था।

वित्त लेखे के साथ समाधान

1.9 राजकीय पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अदत्त इक्विटी, ऋण एवं प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिये। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर्गत का समाधान करना चाहिये। 31 मार्च 2015 को इस सम्बन्ध में स्थिति, तालिका 1.5 में बताई गई है।

तालिका 1.5: वित्त लेखे के साथ-साथ पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अदत्त इक्विटी, ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

के सम्बन्ध में अदत्त	वित्त लेखे के अनुसार धनराशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
इक्विटी	50479.08	66700.63	16221.55
ऋण	1466.75	1581.91	115.16
प्रत्याभूतियाँ	67558.32	59822.93	7735.39

स्रोत: वर्ष 2014-15 के राज्य के वित्त लेखे तथा पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

लेखापरीक्षा ने 37 पीएसयू के सम्बन्ध में वित्त लेखे तथा पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार आँकड़ों के मध्य अन्तरों को पाया एवं कुछ अन्तरों का समाधान 2000-01 से लम्बित था। महालेखाकार ने वित्त लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के आँकड़ों के मध्य अन्तर के समाधान न किये जाने के मामले को नियमित रूप से पीएसयू के साथ यह कहते हुए उठाया कि समाधान में शीघ्रता की जाये। सरकार तथा पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाधान करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

1.10 कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अन्त तक करना होता है। इसमें विफलता, अधिनियम की धारा 99 के प्रावधानों तहत दण्डात्मक कार्यवाही को

⁸ दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड (₹ 0.42 करोड़) एवं पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 0.02 करोड़)।

⁹ दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड (₹ 0.49 करोड़), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 1.45 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 0.81 करोड़), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 1.69 करोड़) एवं पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 0.02 करोड़)।

¹⁰ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 1.45 करोड़), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 1.69 करोड़) एवं पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 0.02 करोड़)।

¹¹ दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड (₹ 0.49 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 0.81 करोड़)।

आकर्षित करती है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों की दशा में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण तथा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण, उनसे सम्बन्धित अधिनियम के अनुसार होता है।

तालिका संख्या 1.6 कार्यरत पीएसयू के लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में 30 सितम्बर 2015 तक की गयी प्रगति के विवरणों को दर्शाती है।

तालिका 1.6: कार्यरत पीएसयू के लेखाओं के अन्तिमीकरण से सम्बन्धित स्थिति

क्रम सं०	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कार्यरत पीएसयू/अन्य कम्पनियों की संख्या	83	85	87	87	65 ¹²
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या	59	66	84	42	43 ¹³
3.	लम्बित लेखाओं की संख्या	206	234	228	273	249 ¹⁴
5.	लम्बित लेखाओं वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	69	81	82	83	61
6.	लम्बित लेखाओं की अवधि	1 से 15 वर्ष	1 से 16 वर्ष	1 से 17 वर्ष	1 से 18 वर्ष	1 से 19 वर्ष

स्रोत: पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे

यह देखा जा सकता है कि लम्बित लेखाओं की संख्या 2010-11 में 206 से बढ़कर 2014-15 में 249 हो गई। 2010-11 से 2014-15 के दौरान लम्बित लेखाओं की औसत संख्या प्रति कार्यरत पीएसयू 2.48 तथा 3.83 के मध्य रही। 65 कार्यरत पीएसयू में से केवल चार पीएसयू¹⁵ ने वर्ष 2014-15 के अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया जबकि सितम्बर 2015 को 61 पीएसयू के 249 लेखे एक से 19 वर्ष की अवधि से बकाये थे।

प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन पीएसयू के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन पीएसयू द्वारा उनके लेखे निर्दिष्ट समय-सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। सम्बन्धित विभागों को इस सम्बन्ध में नियमित रूप से सूचित किया गया। इसके अलावा, लम्बित लेखाओं के निस्तारण हेतु प्रकरण, तिमाही अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से महालेखाकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव (वित्त) के साथ उठाया गया। यद्यपि, कोई सुधार नहीं हुआ।

1.11 राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 19 कार्यरत पीएसयू में ₹ 15581.01 करोड़ (इक्विटी: ₹ 11464.85 करोड़, ऋण: ₹ 138.78 करोड़, अनुदान: ₹ 1543.96 करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 2433.42 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किया गया था जैसा कि परिशिष्ट-1.2 में दिया गया है। लेखों के अन्तिमीकरण तथा उनकी पश्चात्पूर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय सही तरीके से लेखांकित किये गये थे तथा जिस उद्देश्य हेतु धनराशि

¹² उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की 22 सहायक कम्पनियों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विघटन करने के कारण बन्द कर दिया गया। वेस्टर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड नामक एक कम्पनी का निजीकरण कर दिया गया जो 22 सितम्बर 2011 से प्रभावी था, जैसा कि फरवरी 2015 में सूचित किया गया तथा नोएडा मेट्रो रेल निगम लिमिटेड नामक एक कम्पनी 2014-15 में समामेलित की गई।

¹³ 2014-15 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के 19 लेखों को छोड़कर, क्योंकि कुल कार्यरत कम्पनियों में इन कम्पनियों को शामिल नहीं किया गया है।

¹⁴ इसमें उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के 44 बकाया लेखे तथा वेस्टर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जिसका 22 सितम्बर 2011 को निजीकरण हो गया था, के दो बकाया लेखों को छोड़कर।

¹⁵ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ-1, 19, 20 एवं 22।

निवेशित की गयी थी वह प्राप्त हुआ या नहीं एवं इस प्रकार ऐसे पीएसयू में सरकार का निवेश राज्य विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रहा।

1.12 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2015 को अकार्यरत पीएसयू के लेखाओं के अन्तिमीकरण लम्बित थे। 39 अकार्यरत पीएसयू में से, 13¹⁶ पीएसयू समापन की प्रक्रिया में थे, जिनके 325 लेखे सात से 40 वर्षों तक से लम्बित थे। शेष 26 अकार्यरत पीएसयू के 403 लेखे, 30 सितम्बर 2015 को एक से 32 वर्षों की अवधि से लम्बित थे। अकार्यरत पीएसयू के सम्बन्ध में लम्बित लेखाओं की स्थिति तालिका 1.7 में दी गई है।

तालिका 1.7: अकार्यरत पीएसयू के सम्बन्ध में लम्बित लेखाओं की स्थिति

वर्ष	अकार्यरत पीएसयू की संख्या	लम्बित लेखाओं की संख्या	अवधि जिनसे सम्बन्धित लेखे लम्बित थे	वर्षों की संख्या जिनसे सम्बन्धित लेखे लम्बित थे
2012-13	39	661	1974-75 से 2012-13	1 से 38
2013-14	39	695	1974-75 से 2013-14	1 से 39
2014-15	39	728	1974-75 से 2014-15	1 से 40

स्रोत: अकार्यरत पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

तालिका 1.7 दर्शाती है कि 2012-13 में लम्बित लेखाओं की संख्या 661 से बढ़कर 2014-15 में 728 (10.14 प्रतिशत) हो गई। 2012-13 से 2014-15 के दौरान लम्बित लेखाओं की औसत संख्या प्रति अकार्यरत पीएसयू 17 तथा 19 के मध्य रही, जो अकार्यरत पीएसयू के लम्बित लेखाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.13 तालिका 1.8 में प्रदर्शित स्थिति, सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी द्वारा निर्गत (30 सितम्बर 2015 तक) पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 1.8: एसएआर को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

क्रम सं०	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमंडल में रखी गयी	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखी गयी	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2011-12	2012-13 2013-14	6 जून 2014 2 सितम्बर 2015
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2007-08	2008-09 2009-10 2010-11 2011-12	20 मई 2011 13 अप्रैल 2012 27 अगस्त 2012 16 सितम्बर 2013
3.	उत्तर प्रदेश वन निगम ¹⁷	--	2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	9 मार्च 2011 16 नवम्बर 2011 21 सितम्बर 2012 11 जुलाई 2013 6 जून 2014 21 अप्रैल 2015

¹⁶ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या स-2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24 एवं 27।

¹⁷ उत्तर प्रदेश वन निगम ने उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 में आवश्यक संशोधन के पश्चात् वर्ष 2008-09 के लेखे प्रस्तुत किये।

क्रम सं०	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमंडल में रखी गयी	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमंडल के सम्मक्ष नहीं रखी गयी	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2010-11	2011-12 2012-13 2013-14	16 सितम्बर 2013 7 नवम्बर 2014 20 अगस्त 2015
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007-08	2008-09 2009-10 2010-11	3 अगस्त 2011 20 मई 2013 12 दिसम्बर 2013
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2011-12	2012-13	29 जून 2015

स्रोत: निगमों द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

लेखाओं का अन्तिमीकरण न किये जाने का प्रभाव

1.14 जैसा कि प्रस्तर 1.10 से 1.12 में इंगित किया गया है, लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब, सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त, जनता के धन की धोखाधड़ी और उसके दुरुपयोग का भी जोखिम उत्पन्न कर सकता है। लम्बित लेखाओं की उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2014-15 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पीएसयू के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राजकोष में उनके योगदान को राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित भी नहीं किया गया।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि:

- सरकार, समयबद्ध तरीके से लम्बित लेखाओं के निस्तारण की देखरेख हेतु, एक प्रकोष्ठ का गठन करे तथा अलग-अलग कम्पनियों हेतु लक्ष्य निर्धारित करे जिसका अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।
- जहाँ कर्मचारियों या विशेषज्ञता का अभाव है, लेखाओं को तैयार करने से सम्बन्धित कार्यों के लिए, सरकार आउटसोर्सिंग पर विचार करे।

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार पीएसयू का निष्पादन

1.15 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम परिशिष्ट-1.1 में वर्णित हैं। राज्य की जीडीपी से पीएसयू के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयू की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। तालिका 1.9 में 2014-15 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के राज्य की जीडीपी तथा कार्यरत पीएसयू के टर्नओवर के विवरणों का उल्लेख किया गया।

तालिका 1.9: राज्य की जीडीपी के साथ-साथ कार्यरत पीएसयू के टर्नओवर का विवरण

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
टर्नओवर ¹⁸	39298.30	42987.46	62432.56	65683.38	85138.42
राज्य की जीडीपी	588467	687836	769729	890265	976297
राज्य की जीडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	6.68	6.25	8.11	7.38	8.72


स्रोत: कार्यरत पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं वित्त लेखे

¹⁸ 30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार।

तालिका 1.9 दर्शाती है कि कार्यरत पीएसयू का टर्नओवर 2010-11 एवं 2014-15 में क्रमशः ₹ 39298.30 करोड़ तथा ₹ 85138.42 करोड़ रहा जिसने उपर्युक्त अवधि के दौरान 116.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसके सापेक्ष राज्य की जीडीपी ने उसी अवधि के दौरान 65.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, राज्य की जीडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत 2010-11 में 6.68 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 के 8.72 प्रतिशत हो गया।

1.16 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य के कार्यरत पीएसयू द्वारा वहन की गई समग्र हानियों¹⁹ को लाइन चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: कार्यरत पीएसयू की समग्र हानियाँ



(कोष्ठकों के आँकड़ें सम्बन्धित वर्षों में कार्यरत पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं)

लाइन चार्ट 1.4 दर्शाता है कि कार्यरत पीएसयू द्वारा वहन की गई हानियाँ 2010-11 में 3714.44 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में 16782.71 करोड़ (351.82 प्रतिशत) हो गईं, जो पीएसयू की क्षरणशील वित्तीय स्थिति को परिलक्षित किया।

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 2014-15 के दौरान, 65 कार्यरत पीएसयू में से, 30 पीएसयू ने ₹ 1661.53 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 26 पीएसयू ने ₹ 18444.24 करोड़ की हानि वहन की। छः कार्यरत पीएसयू²⁰ ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि तीन कार्यरत पीएसयू²¹ ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये। लाभ में मुख्य योगदानकर्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 495.11 करोड़), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 321.39 करोड़), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 232.49 करोड़)

¹⁹ 30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार।

²⁰ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ-18, अ-53, अ-55, अ-56, अ-57 एवं अ-58।

²¹ यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड एवं मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड।

और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 218.08 करोड़) थे। भारी हानि वहन करने वालों में दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5521 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4094.62 करोड़), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3262.77 करोड़) और पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3171.51 करोड़) थे।

1.17 पीएसयू (कार्यरत एवं अकार्यरत) के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचकों को तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: राज्य पीएसयू के महत्वपूर्ण सूचक

(₹ करोड़ में)

विवरण ²²	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ²³ (प्रतिशत)	-	-	-	-	-
ऋण	25081.29	35952.78	50259.24	86458.19	88850.29
टर्नओवर	39298.30	42987.46	62432.56	65683.38	85138.42
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.64:1	0.84:1	0.81:1	1.32:1	1.04:1
ब्याज का भुगतान	1273.00	1639.70	3756.60	4920.79	5182.60
संचित (हानियाँ)	(22598.81)	(29380.10)	(64555.91)	(77258.93)	(94151.70)

स्रोत: पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा आगणित सूचना

(उपरोक्त आँकड़े समस्त पीएसयू से सम्बन्धित हैं सिवाय, टर्नओवर के जो कार्यरत पीएसयू से सम्बन्धित हैं)

यह देखा जा सकता है कि पीएसयू के ऋण 2010-11 एवं 2014-15 में क्रमशः ₹ 25081.29 करोड़ तथा ₹ 88850.29 करोड़ रहे जिसने उपर्युक्त अवधि के दौरान 254.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसके सापेक्ष ऋण-टर्नओवर अनुपात 2010-11 में 0.64:1 से बढ़कर 2014-15 में 1.04:1 हो गया। ऋणों में वृद्धि के समानान्तर ब्याज के भुगतान में वृद्धि का प्रभाव संचित हानियों पर पड़ा जिसने 2010-11 से 2014-15 के दौरान 316.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के नकारात्मक प्रतिलाभ के कारण, निवेशित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, सभी पाँच वर्षों में नकारात्मक रहा।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनायी थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी चुकता अंश पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का न्यूनतम प्रत्याय देना था। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार 30 पीएसयू ने ₹ 1661.53 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया तथा नौ पीएसयू²⁴ ने ₹ 8.06 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने न्यूनतम लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति का अनुपालन नहीं किया।

अकार्यरत पीएसयू का समापन

1.19 31 मार्च 2015 को 39 अकार्यरत पीएसयू थे (37 सरकारी कम्पनियाँ तथा अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन दो कम्पनियाँ)। इनमें से, 13 पीएसयू में समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। चूँकि अकार्यरत पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रहे हैं तथा अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इन पीएसयू को या तो बन्द करने या पुनरोद्धार करने हेतु विचार किया जा सकता

²² 30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार।

²³ नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के नकारात्मक प्रतिलाभ के कारण, नकारात्मक रहा।

²⁴ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ-5, अ-6, अ-12, अ-16, अ-24, अ-46, अ-48, अ-51 एवं ब-1।

है। 2014-15 के दौरान एक अकार्यरत पीएसयू²⁵ ने स्थापना व्यय पर ₹ 0.72 करोड़ व्यय किया। यह व्यय उपर्युक्त पीएसयू की धारक कम्पनी द्वारा वित्तपोषित किया गया।

1.20 अकार्यरत पीएसयू की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं।

तालिका 1.11: अकार्यरत पीएसयू की बन्दी

क्रम सं०	विवरण	कम्पनियाँ
1.	अकार्यरत पीएसयू की कुल संख्या	39
2.	उपर्युक्त (1) में से निम्न के अधीन पीएसयू की संख्या :	
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	13
(ब)	ऐच्छिक समापन (समापक नियुक्त)	—
(स)	बन्द अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	26

स्रोत: रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

वर्ष 2014-15 के दौरान, किसी भी कम्पनी का अन्तिम समापन नहीं हुआ था। 13 पीएसयू, जिन्होंने न्यायालय द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया, वे 10 से 34 वर्षों से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे दृढ़ता से अपनाने/अनुगमन करने की आवश्यकता है। 26 अकार्यरत पीएसयू, जिनके अकार्यरत होने के बाद उन्हें चालू रखने या न रखने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में सरकार निर्णय ले सकती है।

लेखा टिप्पणियाँ

1.21 वर्ष 2014-15 के दौरान, 37²⁶ कार्यरत कम्पनियों ने अपने 38 संप्रेक्षित लेखे²⁷ महालेखाकार को 2014-15²⁸ में प्रेषित किये। इनमें से, 33 कम्पनियों के 33 लेखे²⁹ अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करते हैं। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विवरणों को तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	14	163.88	10	68.55	10	43.92
2.	हानि में वृद्धि	21	1248.38	15	248.82	9	7.11
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	8	587.68	11	9057.64	12	2290.30
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ	1	0.07	3	255.37	2	2.20
	योग	44	2000.01	39	9630.38	33	2343.53

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा आगणित आँकड़े

²⁵ घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड।

²⁶ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50 तथा 51। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के विघटन के कारण उनके 19 लेखे शामिल नहीं हैं।

²⁷ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अपर्ट्रॉन पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड के दो लेखाओं को शामिल करते हुए।

²⁸ अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015।

²⁹ पाँच कम्पनियों के पाँच लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु नहीं चुने गये। इन्हे असमीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया।

सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य वर्ष 2013-14 में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 2000.01 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 2343.53 करोड़ हो गया। इसके अलावा, टिप्पणियों का प्रति लेखा औसत मौद्रिक मूल्य 2012-13 में ₹ 45.46 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 71.02 करोड़ हो गया। इसने लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को इंगित किया।

वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने 36 लेखों पर क्वालीफाईड प्रमाणपत्र, एक लेखा³⁰ पर एडवर्स प्रमाणपत्र तथा एक लेखा³¹ पर डिस्क्लेमर दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 28 लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 144 दृष्टान्त पाये गये।

1.22 इसी प्रकार, 2014-15³² के दौरान पाँच कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने पाँच लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से तीन सांविधिक निगमों³³ के तीन लेखे सीएजी द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे, जो कि पूर्ण किये गये। शेष दो लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका संख्या 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: कार्यरत सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	4	38.05	4	731.98	3	232.85
2.	हानि में वृद्धि	1	79.60	1	4.05	1	10.00
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	—	—	—	—	4	704.58
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ	—	—	—	—	2	20.05
	योग	5	117.65	5	736.03	10	967.48

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा आगणित आँकड़े

सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य वर्ष 2012-13 में ₹ 117.65 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 967.48 करोड़ हो गया। इसके अलावा, टिप्पणियों का प्रति लेखा औसत मौद्रिक मूल्य 2012-13 में ₹ 23.53 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 96.75 करोड़ हो गया। इसने लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को इंगित किया।

वर्ष के दौरान, पाँच³⁴ लेखों में से दो³⁵ लेखों में क्वालीफाईड प्रमाणपत्र तथा एक³⁶ लेखा पर एडवर्स प्रमाण पत्र दिया गया, जो सीएजी की एकल लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे। शेष दो लेखों पर, सांविधिक अंकेक्षकों ने क्वालीफाईड प्रमाणपत्र दिया। निगमों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान पाँच लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 12 दृष्टान्त पाये गये।

³⁰ उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड।

³¹ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड।

³² अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 तक।

³³ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

³⁴ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या ब-1, 2, 3, 5 एवं 7।

³⁵ उत्तर प्रदेश वन निगम (2013-14) एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2013-14)।

³⁶ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (2013-14)।

लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं प्रस्तर

1.23 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं, एक अनुगामी लेखापरीक्षा, तीन दीर्घ प्रस्तर एवं 12 संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को छः सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु अनुरोध के साथ निर्गत किया गया था। हालांकि, दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं, एक अनुगामी लेखापरीक्षा, तीन दीर्घ प्रस्तरों एवं नौ संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यकारी से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से प्रश्नावलियों की प्रतीक्षा किये बिना, प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किया था (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति को तालिका 1.14 में दिया गया।

तालिका 1.14: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2015 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) एवं प्रस्तर		पीए/प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2009-10	5 अगस्त 2011	3	13	0	4
2010-11	30 मई 2012	2	13	0	8
2011-12	16 सितम्बर 2013	2	14	1	7
2012-13	20 जून 2014	1	19	1	5
2013-14	17 अगस्त 2015	2	15	2	15
योग		10	74	4	39

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गयी सूचना

उपर्युक्त से यह देखा जा सका कि 74 प्रस्तरों एवं 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं जिन पर टिप्पणियाँ की गयी थीं, में से 11 विभागों से सम्बन्धित 39 प्रस्तरों एवं चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रतीक्षित थीं (सितम्बर 2015)।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

1.25 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) में सम्मिलित एवं विचार-विमर्श किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों की स्थिति तालिका 1.15 में दी गयी है।

तालिका 1.15: 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं विचार विमर्श की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए)/प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	पीए/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा में सम्मिलित		विचार-विमर्श किए गए पीए/प्रस्तर	
	पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
1982-83 से 2008-09 तक	132	888	76	534
2009-10	3	13	0	4
2010-11	3 ³⁷	13	0	3
2011-12	2	14	0	2
2012-13	1	19	0	3
2013-14	2	15	0	0
योग	143	962	76	546

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 कोपू के आन्तरिक कार्य प्रणाली की नियमावली के अन्तर्गत महालेखाकार द्वारा एटीएन के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू द्वारा एटीएन पर विचार-विमर्श के समय विभागों द्वारा कोपू की संस्तुतियों से सम्बन्धित एटीएन महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाते हैं। इसलिए एटीएन की स्थिति की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करे :

- निर्धारित समय सूची के अनुसार, प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रेषित कर दीं जायें;
- लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने की प्रणाली की बेहतरी हेतु बदलाव किया जाये।

इस प्रतिवेदन में आच्छादित विषयवस्तु

1.27 इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित 12 संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों, तीन दीर्घ प्रस्तर, एक अनुगामी लेखापरीक्षा एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 10369.60 करोड़ है।

पीएसयू के विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण तथा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.28 2014-15 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पीएसयू के विनिवेश, पुनर्गठन, निजीकरण एवं ऊर्जा क्षेत्र में सुधार से सम्बन्धित कोई मामला नहीं था।

³⁷ उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर पृथक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को शामिल करते हुए।